रजिस्ट्री सं. डी. (डी एन.)-127 REGISTERED NO D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 1989/वैसाख 12, 1911
No. 242] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 1989/VAISAKHA 12, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 मई, 1989

का.आ. 318 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पदेन अपर-सचिव श्री ए.सी.सल्दाना को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिये विशेष रूप से सशक्त करती है ।

[फा.सं. 771/3/89-सीमाशुल्क-8]

डा.निशा सहाय अच्युतन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 2nd May, 1989

S. O. 316 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 10 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988), the Central Government hereby specially empowers Shri A. C. Saldanha, ex-officio Additional Secretary to the Government of India, for the purposes of the said Section.

[F. No. 771|3|89-Cus. VIII]

Dr. NISHA SAHAI ACHUTHAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989